न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 341/24 निर्णय दिनांकः 18.08.2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/479)

1. अल्लादीते खां पुत्र रसूल बक्श खान जाति मुसलमान निवासी बिजेरी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–03–1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री पदम सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 22–03–1988 जिसके द्वारा अपीलांट् को भूमिहीन आवंटन हेतु अपात्र माना गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी तथा कहा गया था कि जब भी आवंटन की कार्यवाही की जायेगी आपको सूचित कर दिया जायेगा। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अन्य वांछित सबूत प्रस्तुत करने बाबत् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई नोटिस जारी किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु अपात्र घोषित किया गया। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–1988 के विरूद्व अपील दिनांक 21–08–2024 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी दिनांक 01–04–1955 से पूर्व का राजस्थान का सद्भावी निवासी नहीं होने व पाक विस्थापित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 21–04–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. हस्तगत् प्रकरण में आवेदक के आवेदन पत्र को 01–04–1955 से पूर्व का राजस्थान का सद्भावी मूल निवासी नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के फोटो फॉर्म के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह फोटो फॉर्म तहसीलदार द्वारा तस्दीकशुदा है। जिसमें अपीलांट को 01–04–1955 के पूर्व का निवासी व सद्भाविक कृषक होने का उल्लेख है। साथ ही अपीलांट के ग्राम बीजेरी चक 7 सीडीवाई के गैर खातेदारी भूमि होना दर्शित है। आवंटन अधिकारी को आवेदन खारिज करने से पूर्व नोटिस जारी कर वांछित दस्तावेज पेश करने का अवसर देना चाहिए था परन्तु एकतरफा तौर पर आवेदन खारिज कर दिया गया तथा इस बाबत् प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर एवं पत्रावली में मौजूद सबूतों के विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जॉच करते हुए अपीलांट की पात्रता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर